HEAD OFFICE

Uttarakhand Pollution Control Board

46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,

Dehradun (Uttarakhand)

Action Taken Report

Original Application No. 163 of 2020

Roshan Joshi

Vs

State of Uttarakhand and Ors

In compliance of order dated 17.08.2020

of the

Hon'ble National Green Tribunal,

Principal Bench, New Delhi

Action Taken Report

In the matter of Original Application No. 163 of 2020

Roshan Joshi

Vs

State of Uttarakhand and Ors.

In context to the Original Application No. 163/2020 Roshan Joshi Vs State of Uttarakhand and Ors., Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 17.08.2020 issued following directions:-

"Let a joint committee of the State PCB, District Magistrate, Dehradun and SEIAA, Uttarakhand furnish a factual and action taken report in the matter within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferable in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of Image PDF."

With compliance of the order passed by the Hon'ble NGT, inspection of the site was carried out by the expert committee on dated 03 October, 2020. Expert Committee consisted of Sh. Gopal Ram- SDM, Dehradun; Sh. Shailandra Singh Bisht- Member, SEIAA, Dehradun; Sh. S.P. Singh- Environment Engineer, Head Office, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun. Detailed Inspection Report is enclosed as Annexure-1

As per inspection report:-

1. Residential Houses are located at 10-15 meters at North, East and West of the site situated at Khasra No 607 and 609. Nehru Gram Road is located at the South side of the site. There are several commercial activities at the main road and shops are also situated around the site.

2. The siting criteria issued by Central Pollution Control Board vide it's letter no. B-13011/01/2019-20/AQM/0809 dated 07.01.2020 is as follows:-

   "In case of siting criteria for petrol pumps new retail outlets shall not be located within a radial distance of 50 meters (from fill point/dispensing units/vent pipe whichever is nearest) from schools, hospitals (10 beds and above) and residential areas designated as per local laws. In case of constraints in providing 50 meters distance, the retail outlet shall implement additional safety measures as prescribed by PESO. In no case the distance between new retail outlet from schools, hospitals (10 beds and above) and residential area designated as per local laws shall be less than 30 meters. No high tension line shall pass over retail outlet".

3. No Objection Certificate has been issued to the Petrol Pump owner by District Magistrate, Dehradun vide letter no- 199/Pari0-2019-20 dated 12.03.2020 after compliance report by various related departments.

4. The No Objection Certificate issued to the Petrol Pump by related department was cancelled by Office of the District Magistrate, Dehradun vide letter no- 231/Pari0-2020-21 dated 31.08.2020 due to non approval of the map before construction at the proposed site.

   According to the Petrol Pump owner they have submitted fee of Rs. 5015/- at M.D.D.A. on dated 12.02.2020 for approval of the map.

5. With reference to the orders of Hon'ble High Court, Nainital in the matter of Writ Petition 1488/2020 Shri. Sandeep Jain V/s District Magistrate and Ors the cancelation of the No Objection Certificate issued by District Magistrate, Dehradun vive letter no. 231/Pari0-2020-21 dated 31.08.2020 to the Petrol Pump is put on stay as the matter is under consideration at the Hon'ble High Court, Nainital.

****

Annexure-I

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-163/2020 रोशन जोशी बनाम उत्तराखण्ड शासन व अन्य में दिनांक 17.08.02020 को पारित आदेश के अनुपालन में निरीक्षण आख्या

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में बोर्ड के पत्र सं0-यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/2708-542 दिनांक 27.08.2020 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं :-

1. **श्री गोपाल राम, उप जिलाधिकारी, देहरादून।**
2. **श्री शैलेन्द्र सिंह बिष्ट, मेम्बर, एस0ई0आई0ए0ए0, देहरादून।**
3. **श्री एस0पी0 सिंह, पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।**

उपरोक्त गठित समिति द्वारा श्री रोशन जोशी के द्वारा की गयी शिकायत के क्रम में **मै0 इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लि0 स्थापित पेट्रोल पम्प का स्थलीय निरीक्षण पेट्रोल पम्प मालिक श्री सन्दीप जैन के प्रतिनिधि की उपस्थिति में दिनांक 03.10.2020 को किया गया।** निरीक्षण आख्यानुसार :-

1. स्थल (पेट्रोल पम्प) के खसरा सं0-607 एवं 609 के उत्तर, पूर्व व पश्चिम दिशा में लगभग 10-15 मीटर दूरी पर आवासीय घर है तथा दक्षिण दिशा में नेहरूग्राम रोड है। रोड के समान्तर व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हैं एवं दुकानें स्थापित है।
2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र संख्या-B-13011/01/2019-20/AQM/0809 दिनांक 07.01.2020 के अनुसार Siting Criteria निम्नानुसार है :-

   "In case of siting criteria for petrol pumps new Retail Outlets shall not be located within a radial distance of 50 meters (from fill point/dispensing units/vent pipe whichever is nearest) from schools, hospitals (10 beds and above) and residential areas designated as per local laws. In case of constraints in providing 50 meters distance, the retail outlet shall implement additional safety measures as prescribed by PESO. In no case the distance between new retail outlet from schools, hospitals (10 beds and above) and residential area designated as per local laws shall be less than 30 meters. No high tension line shall pass over retail outlet".
3. उक्त पेट्रोल पम्प स्वामी को जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या-199/परि0-2019-20 दिनांक 12.03.2020 को सम्बन्धित विभागों जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, देहरादून; मुख्य अग्निशमन अधिकारी, देहरादून; सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण; उप जिलाधिकारी (सदर), देहरादून; अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश तथा जिलापूर्ति अधिकारी, देहरादून से आख्या प्राप्त होने के उपरान्त जिलाधिकारी, देहरदून द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। **(छायाप्रति संलग्न-1)**
4. कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या-231/परि0-2020-21 दिनांक 31.08.2020 के अनुसार प्रस्तावित भूमि पर निर्माण करने से पूर्व मानचित्र स्वीकृति न होने के कारण पेट्रोल पम्प स्वामी को सम्बन्धित विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। **(छायाप्रति संलग्न-2)**

   परन्तु पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा एम0डी0डी0ए0 में मानचित्र स्वीकृति हेतु शुल्क रू0-5015/- दिनांक 12.02.2020 को जमा किया गया है। **(छायाप्रति संलग्न-3)**

...क्रमशः पृष्ठ-2

5. मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड में योजित सिविल रिट पिटिशन सं0-1488/2020 श्री सन्दीप जैन बनाम जिलाधिकारी व अन्य में पारित आदेश के अनुसार जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या-231/परि0-2020-21 दिनांक 31.08.2020 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त के आदेश को, अगली तिथि तक स्थगित (Stayed) कर दिया गया है। उक्त प्रकरण वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। **(छायाप्रति संलग्न-4)**

****

(शेलेन्द्र सिंह बिष्ट)
मेम्बर, एस0ई0आई0ए0ए0, देहरादून

(एस0पी0 सिंह)
पर्यावरण अभियन्ता

(गोपाल राम)
उप जिलाधिकारी, देहरादून

Annexure-I

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

दूरभाष न0:0135–2659975,2622389,फैक्सन0:0135–2655225,272002 Email ID dehradun@gmail.com

संख्या 199 /परि0–2019–20 दिनांक 12·3– 2020

मुख्य क्षेत्रीय रिटेल सैल्स प्रबन्धक,
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड,
25–निम्बूवाला, गढ़ी कैन्ट, देहरादून।

उपरोक्त विषयक श्री संदीप जैन पुत्र कृष्णलाल जैन निवासी वार्ड नं0 7, विकासनगर, जिला देहरादून एवं अपने कार्यालय के पत्र संख्या–DDNRO/NRO/116DID 02.01.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके भूमि खसरा नम्बर 607 एव 609 फाउण्टेन चौक एंव डोभाल चौक, देहरादून बाया धर्मपुर–नेहरूग्राम रोड, देहरादून पर रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है, उक्त के कम सम्बन्धित विभागों से आख्या प्राप्त की गयी विभागवार आख्या निम्नवत् है:–

1– **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून** ने अपने पत्रांक–एस0टी0–एस0एस0पी0–09(एन.ओ.सी.)/2019 दिनांक 30 जनवरी 2020 में उल्लेख किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 607 एव 609 फाउण्टेन चौक एंव डोभाल चौक, देहरादून बाया धर्मपुर–नेहरूग्राम रोड, देहरादून पर रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु क्षेत्राधिकारी नेहरू कालोनी देहरादून से जॉच कराई गई, क्षेत्राधिकारी नेहरू कालोनी देहरादून की आख्या में उल्लेख किया गया है कि उक्त के सम्बन्ध में थाना नेहरू कालोनी से जॉच करायी गयी तो थानाध्यक्ष नेहरू कालोनी की आख्यानुसार उक्त स्थल मुख्य सड़क मार्ग पर लगा हुआ है, जिसमे आने जाने की पर्याप्त जगह है तथा उक्त स्थल के उपर से कोई भी विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है। अग्नि शमन विभाग का वाहन आसानी से निकल सकता है तथा अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र होने पर थानास्तर से उक्त स्थल पर रिटेल आउटलेट खोले जाने पर कोई आपत्ति नही है।

2– **मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून** ने अपने पत्र न–4/सी.एफ.ओ./पैट्रोल पम्प/डी.पीई.24–2020 दिनाक 08 फरवरी 2020 में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी देहरादून की संस्तुति आख्या 02.02.2020 के द्वारा प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई उच्च क्षमता की विधुत लाईन नही गुजर रही तथा प्रस्थावित स्थल तक अग्निशमन का वाहन आसानी से पहुॅच सकता है इसके प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए/बी रिटेल आउटलेट/पैट्रोल पम्प मे निम्नांकित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओ का होना आवश्यक है:–

1–प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास मार्ग को छोड़कर तीनों ओर से कम से कम 3.50मीअर उंची चाहर दीवारी की जायेगी। अग्निशमन उपकरणों की देखरेख/संचालन हेतु प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी/गार्ड रखना आवश्यक है।

2–प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प मे बनने वाले कक्ष की टैरेस मे 05 हजार लीटर पानी की क्षमता के टैंक का प्राविधान किया जायेगा, उक्त टैरेस टैंक से सम्बद्ध 30 मी0 लम्बाई की होज रील का प्राविधान किया जाना आवश्यक है। होज रील को प्रेशर युक्त पानी उपलब्ध कराने के लिए टैरेस टैंक के पास उचित क्षमता के फायर पम्प का प्राविधान करना आवश्यक होगा।

3–प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के समीप लाल रंग के टिन शेड का निर्माण किया जायेगा जिसमें बड़े–बड़े अक्षरों मे "आग(फायर)" लिखा जायेगा।

4–उक्त टिन शेड में चार अदद मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्यूशर प्रत्येक 09 ली0 क्षमता के तथा दो अदद ए0बी0सी0 एक्सटिंग्यूशर प्रत्येक 09 किग्रा0 क्षमता के रखे जायेगें, साथ ही 08 अदद सेण्ड बकेट ब्रेकट में टंगी रहेगी।

5–प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के मेन विद्युत पैनल बोड के पास 4.5 किग्रा0 क्षमता का एक सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर रखा जाना आवश्यक है।

6– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प में छोडे गये सेट बैक तथा बफर स्ट्रिप से फ्यूल प्वांइट की दूरी तक कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

होगा। कोई आवेदक नये लाईसेंस हेतु अपने स्थलीय प्लान की दो प्रतियों के साथ जिला प्राधिकारी के सम्मुख आवेदन प्रस्तुत करेगा और जिला प्राधिकारी को यदि कोई आपत्ति नहीं होती है तो उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत विभिन्न कार्यदायी संस्थानो से स्थालीय, निरीक्षण कराते हुये रिपोर्ट तैयार की जाती है, जैसे अग्निशमन विभाग, लोक_निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण आदि। उपरोक्त विभागों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर NOC या अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त, ही डीजल लाईसेंस निर्गत किया जाता है।

यह अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यातायात बाधित होता है तो उक्त अनापत्ति वापिस ले ली जायेगी।

अतः उपरोक्त विभागों/आख्याओं के अधीन भूमि खसरा नम्बर 607 एव 609 फाउण्टेन चौक एंव डोभाल चौक, देहरादून बाया धर्मपुर–नेहरूग्राम रोड, देहरादून पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि प्रस्तावित भूमि पर निर्माण करने से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा, तथा उपरोक्त वर्णित छः विभागों से प्राप्त अनापत्ति में अंकित प्रतिबन्धो का उलंघन किये जाने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

संलग्न–मानचित्र की मूल प्रति।

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
2– मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।
3– सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
4– उपजिलाधिकारी(सदर) देहरादून।
5– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश।
6– जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून।

COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE

जिलाधिकारी
देहरादून।

7–प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के पृष्ठ व दोनो पार्श्व मे न्यूनतम 3.00–3.00मीटर सेट बैक आवश्यक होगें।

8– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प मे अग्नि सुरक्षा नियमानुसार अग्निशमन व्यवस्थाओ का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा तथा मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक से अनापत्ति प्रमाण पत्र पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9–पेट्रोलियम रूल्स 1976(यथासंशोधित) के प्रस्तर 30 के अनुसार ड्रेजेस, प्रस्तर 127 के अनुसार अर्थिग आफ टैंक किसी सक्षम अभियान्ता की देखरेख मे ही करवाया जायेगा।

10–प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प मे डीजल/पेट्रोल भरने का कार्य सूर्यास्त से पूव्र तथा सूर्योदय के बाद ही किया जायेगा।

11–प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के पास फायर स्टेशन का टेलीफोन नं0–0135–2716242, 101 पुलिस कन्ट्रोल रूम 100, 112 एवं आपातकालीन एम्बूलेंस सेवा का टेलीफोन नं0 108 स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है।

12–प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की विद्युत व्यवस्था फ्लेम प्रूफ एंव एम0सी0बी0 तथा ई0एल0सी0बी0 पर आधारित होगी।

13–प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के बाहर धुमपान निषेध का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।

14–O.I.S.D द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करेगें। तथा अन्य प्रावधान जो भारतीय पेट्रोलियम तथा एक्सप्लोसिव अधिनियम द्वारा वांछित हो, लागू होगें। उपरोक्त वर्णित अग्नि सुरक्षा बिन्दुओ तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया पार्ट –3 एवं पार्ट–4 में वर्णित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं, पेट्रोलियम रूल्स 2002, भारतीय विद्युत नियमावली के मानकों एवं उत्तराखण्ड शासन के सशोंधित आदेश सं0 837/V–2–2016–127(आ0)/15–टी.सी. दिनांक 03 जून 2016 के मानको को पूर्ण किये जाने तथा रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) के पास की गयी प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्नि शमन विभाग से कराकर व्यवस्था सम्बन्धी प्रमाण पत्र (Pre-Operational) लिये जाने की शर्त पर प्रश्नगत स्थल पर पेट्रोल पम्प निर्माण हेतु प्रारम्भिक अनापत्ति प्रमाण पत्र (Pre-Establisment) निर्गत करने मे इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा।

3– **सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकारण देहरादून** ने अपने पत्र संख्या–3239/ नि0अनु0–रिटेलआउटलेट/2020 दिनांक 24.01.2020 के द्वारा उल्लेख किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 607 एव 609 फाउण्टेन चौक एंव डोभाल चौक, देहरादून बाया धर्मपुर–नेहरूग्राम रोड, देहरादून पर रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु आख्या/अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु तकनीकी आख्या निम्नानुसार है:–

1 मौजा धर्मपुर में भूमि खसरा नं0 607 एंव 609 कुल रकबा 0.0704है0 (704 वर्ग मीटर) भूमि पर श्री संदीप जैन का स्वामित्व प्रमाणित होता है।

2 प्रस्तावित पेट्रोल पम्प फिलिंग स्टेशन भूखण्ड खसरा नं0 607 एवं 609 ग्राम धर्मपुर मे स्थित है जिसका भू–उपयोग देहरादून महायोजना–2025(संशोधित) के अनुसार 24.0 मीटर मार्ग के पश्चात आवासीय है। वर्तमान मार्ग की चौड़ाई 13.60 मीटर है।

3 प्रस्तावित पेट्रोल पम्पं फिलिंग स्टेशन की गहराई 24.0 मीटर मार्गाधिकार छोड़े जानें के पश्चात 27.90 मीटर, 23.95 मीटर है। फ्रन्टेज 23.17 मीटर है। मानको के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प फिलिंग स्टेशन के लिए 20x20 मीटर का भूखण्ड आकार आवश्यक है। अतः मानकानुसार भूखण्ड नियमानुसार है।

4 भूखण्ड का क्षेत्रफल 704 वर्ग मीटर है। मानकानुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 400.0 वर्ग मीटर आवश्यक है।

5 जोनिंग रेगुलेशन अनुसार आवासीय भू–उपयोग मे पेट्रोल फिलिंग स्टेशन बोर्ड से अनुमन्य है। उपरोक्त के कम में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प लगाने से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है।

4– **उपजिलाधिकारी (सदर) देहरादून** द्वारा अपने आख्या संख्या–95/पी0ए0–2020 दिनाक 31 जनवरी 2020 मे उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रकरण की जॉच तहसीलदार सदर से करायी गयी। तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 23.01.2020 के अनुसार संलग्नक अभिलेखो के आधार पर ग्राम धर्मपुर के खाता संख्या 1423 के खसरा नम्बर 607मि0 रकबा 0.0082है0 व खसरा न0 609 रकबा 0.0622है0 कुल क्षेत्रफल 0.0704है0 भूमि पर श्रीमती गेदा पत्नी ईश्वर सिह व श्री भरत सिह, विशम्भर सिंह का नाम अभिलेखो मे दर्ज है, जो कि दिनांक 28.11.2019 को विकय पत्र के माध्यम से श्री संदीप जैन पुत्र कृष्ण लाल जैन निवासी विकासनगर को विकय कर दी गयी है। संलग्न मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.0704है0 पर रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त भूखण्ड के उत्तर में सम्पत्ति श्री भीम राज भण्डारी, दक्षिण मे मुख्य मार्ग, पूरब में सम्पत्ति श्री संतोष सिंह बिष्ट तथा पश्चिम में 12 फीट चौड़ी गली के मध्य स्थित है। अनापत्ति दिये जाने की संस्तुति इस शर्त के साथ दी जानी उचित होगी कि सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध मे यदि किसी प्रकार का विवाद होता है, तो सम्बन्धित स्वामी अथवा लीज ग्रहिता स्वंय उत्तरदायी होगे। तहसीलदार सदर द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु अनापत्ति आख्या प्रस्तुत की गयी है।

5– **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0 ऋषिकेश** के पत्र संख्या–243/24सीबी दिनांक 23.01.2020 मे उल्लेख किया गया है कि भूमि लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व की नहीं है भूमि सिंचाई विभाग के स्वामित्व की है, जिस पर रिटेल आउटलेट की स्थापना फाउण्टेन चौक एंव डोभाल बाया धर्मपुर 6 न0 पुलिया नेहरूग्राम रोड, देहरादून के किमी0 2.00 है0 मी 2–4 के मध्य रेखा से 12.00 मी0 दूरी पर रिटेल आउटलेट हेतु पेट्रोल पम्प का निर्माण फाउण्टेन चौक एंव डोभाल चौक, देहरादून बाया धर्मपुर 6न0 पुलिया नेहरूग्राम रोड देहरादून मे किया जाना प्रस्तावित है। उक्त मोटर मार्ग के किमी0 2.00है0 मी0 2–4 के मध्य रेखा से 12.00 मी0 दूरी पर मार्ग की बायी ओर रिटेल आउटलेट की स्थापना से याताया तमे कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा।

प्रतिबन्धः–

1 जलमल की व्यवस्था प्रार्थी अपनी भूमि या विभागीय सीवर लाईन मे ही करेगा।
2 राजकीय भूमि पर कोई स्थाई/अस्थाई अतिकमण न किया जाय।
3 मार्ग की नाली के बहाव को अवरूद्ध न किया जाय।
4 निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्रित न की जाय।
5 पार्किग व्यवस्था प्रार्थी अपनी भूमि मे प्रस्तावित स्थल पर करायेगें।
6 प्रस्तावित निर्माण किसी ऐसे प्रयोजन हेतु उपयोग में न लाया जाय, जिससे यातायात बाधित हो।
7 प्रार्थी को नगरपालिका/प्राधिकरण/सिंचाई विभाग या अन्य सम्बन्धित से पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति स्वय प्राप्त करनी होगी।
8 भूमि स्वामित्व के विषय मे इस विभाग द्वारा कोई जॉच नहीं की गई है।
9 उपरोक्त शर्तो में से किसी शर्त का पालन न होने पर यह अनापत्ति स्वयं ही निरस्त समझी जायेगी, जिस पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।उक्त कार्य करवाने हेतु लो0नि0वि0 को कोई आपत्ति नही है।

(पताका–छ)

6– **जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून** के पत्र सं0–1426/जि.पू.अ–प्रेमो0/2019–20 दिनांक 24.01.2020 में उल्लेख किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 607 एव 609 फाउण्टेन चौक एंव डोभाल चौक, देहरादून बाया धर्मपुर–नेहरूग्राम रोड, देहरादून पर रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में पूर्ति निरीक्षक (मुख्यालय) से जॉच करायी गयी। पूर्ति निरीक्षक (मुख्यालय) की आख्या दिनांक 22.01.2020 में उक्त जॉच आख्या मे कोई भी आपत्ति नहीं दर्शायी गई, जॉच आख्या सन्तोषजनक दर्शायी गयी है यह भी अवगत कराया गया है कि पैट्रोलियम रूल 2002, के चैप्टर–VII के लाईसेंसि प्रदान किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त पैट्रोलियम रूल 2002, चैप्टर VII के सैक्शन 114 NOC या आपत्ति से सम्बन्धित है। सैक्शन रूल 144(1) यह स्पष्ट करता है कि लाईसेंसिग प्राधिकारी चीफ कन्ट्रोलर या कन्ट्रोलर

Annexure-2

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

दूरभाष-0135-2659975,2622389,फैक्स-0135-2655225,272002 Email ID dehradundm@gmail.com

संख्या 231 /परि0-2010-21

दिनांक 31/08/20

मुख्य क्षेत्रीय रिटेल सैल्स प्रबन्धक,
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0, देहरादून
डिविजनल आफिस 25, निम्बूवाला गढी कैंट, देहरादून।

विषय:- भूमि खसरा न0 607,609 फाउन्टेन चौक एवं डोभाल चौक पर रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में जारी अनापत्ति निरस्त किये जाने विषयक।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 199/परि0-2019-20 दिनांक 12.03.2020 को भूमि खसरा न0 607,609 फाउन्टेन चौक एवं डोभाल चौक तहसील व जिला देहरादून पर रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु विभिन्न विभागो से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर अनापत्ति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी थी कि प्रस्तावित भूमि पर निर्माण करने से प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा तथा वर्णित 6 विभागो से प्राप्त अनापत्ति में अंकित प्रतिबन्धो को उल्लघन किये जाने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

भूमि खसरा न0 607,609 फाउन्टेन चौक एवं डोभाल चौक पर श्री संदीप जैन पुत्र श्री कृष्णलाल जैन विकासनगर द्वारा उक्त भूमि पर रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु मसूरी देहरादून विकास प्राधिरण द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध सं0 5 जिसमें उल्लेख किया गया है कि जोनिंग रेगुलेशन अनुसार आवसीय भू-उपयोग में पेट्रोल फिलिंग स्टेशन बोर्ड से अनुमन्य है। उपरोक्त के क्रम में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प लगाने से पूर्व मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत कराया जाना आवश्यक होगा। उक्त प्रतिबन्ध का उल्लघन किया गया है। उल्लघन किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत की गयी अनापत्ति को निरस्त करने से पूर्व श्री सदीप जैन पुत्र श्री कृष्णलाल जैन निवासी विकासनगर देहरादून को प्रश्नगत भूमि पर स्वीकृत मानचित्र की प्रति प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 219/प्रशा0अधि0-परि-2020-21 दिनांक 06 अगस्त 2020 एवं पत्र सं0 220 /प्रशा0अधि0-परि0 / 2020-21 दिनांक 13.08.2020 को पत्र प्रेषित किया गया है जिस पर उनको सुना गया तथा उनके द्वारा स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नही किया गया बल्कि नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी उनके द्वारा कार्य स्थल पर कार्य नही बन्द किया गया बल्कि आदेशो का उल्लघन करते हुये रिटेल आउटलेट स्थापित करने एवं भवन निर्माण कार्य लगातार जारी रखा गया है

अतः इस कार्यालय के पत्र सं0 199/परि0-2019-20 दिनांक 12.03.2020 को निर्गत की गयी अनापत्ति निरस्त की जाती है।

ह0/

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी देहरादून।

29.08.2020

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- Head office Indian oil corporation limited Scope Complex, core 2, 7 Institutional area Lodhi Road New Delhi.
- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ।
- उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून को इस अनुरोध के साथे प्रेषित कि जा रही है की उपरोक्त वर्णित भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- श्री संदीप जैन पुत्र कृष्णलाल जैन निवासी 28 फिट रोड विकासनगर देहरादून को सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी(सं0का0).
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।

Annexur-3

Mussoorie Dehradun Development Authority, Dehradun

Demand Note (Challan/Memo)

File No	MAP/P/C/2180/19-20	Applied On	2/12/20 2:23 PM
Plan Type	New Submission	Property Category	Non-Residential
Application Name	PROPOSED FILLING	Site Purpose	Filling Station

Bank Details

Bank Name	:BANK OF BARODA	Branch Name	: TRANSPORT NAGAR,
Account Number	:39980100000919	IFSC Code	: BARBOTRADEH
Branch Code	:TRADEH	City	: DEHRADUN
District	: DEHRADUN	State	: UTTARAKHAND

Address : BANK OF BARODA, TRANSPORT NAGAR, DEHRADUN, UTTARAKHAND 248 001

Subject :- Payment for VILLAGE DHARAMPUR, PARGANA PACHHWA DOON, DISTT. DEHRADUN.,

Dear SANDEEP JAIN,

File no. MAP/P/C/2180/19-20 is received, please deposit the amount online mode as per the calculation below to complete the submission

Sr. No.	Description	Total Amount
1	Submission Charges / rate + misc(5000 + 15)	5015
	*Total Rs.	5015

*Note : Grand Total Amount is including Service tax & Swachh Bharat Cess as per government rules on the date of demand generation. (If applicable)

7

Annxure-4

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. - 1488 OF 2020 (M/S)

(Under Article- 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT-DEHRADUN)

Sandeep Jain (Male aged about 50 years) S/o Sri Krishan Lal Jain R/o Ward No. 7, Vikasnagar, Dehradun.

-------- Petitioner

Versus

1. District Magistrate, District Dehradun
2. Mussoorie Dehradun Development Authority through Its Secretary
3. Indian Oil Corporation Limited through Chief Divisional Retail Sales Manager, Divisional Office: 25, Nimbuwala, Garhi Cantt, Dehradun

------------- Respondents

To,

The Hon'ble the Chief Justice and his other companion Judges of the aforesaid Court.

The humble petition of the petitioner most respectfully showeth as under:-

1. That this is **First Writ Petition**, challenging the order संख्या 231/परि0–2010–21 dated 31.08.2020 passed by the respondent no.1 and signed by the Incharge Officer on his behalf. The petitioner has not filed any other petition seeking same or ancillary relief.

2. That in response to an advertisement issued by the Indian Oil Corporation dated 25.11.2018 for proposed MS/HSD B site retail outlet dealership at location between Fountain Chowk & Dobhal Chok, Dehradun via Dharampur Nehru Gram Road, District Dehradun the petitioner made an application for allotment of the aforementioned dealership. After the advertisement was issued and in order to attain qualification for applying such retail outlet the petitioner purchased the requisite piece of land admeasuring 0.0704 hectare (704 square meter) 22 meter appox frontage 27 meter depth at Khasra No. 607 and 609 village Dharmapur, District Dehradun.

copy ... 9/20 ... 4/9/2020 ... petition ... respondent No. 1 ... email ... 9/2020

WPMS No. 1488 of 2020

Hon'ble Manoj K. Tiwari, J.

Mr. Arvind Vashisth, Senior Advocate assisted by Mr. Vivek Pathak, Advocate for the petitioner.

Mr. M.S. Bisht, Brief Holder for the State of Uttarakhand/respondent no.1.

Mr. Rahul Consul, Advocate for respondent no. 2.

Mr. V.K. Kohli, Senior Advocate assisted by Mr. Kanti Ram Sharma, Advocate holding brief of Mr. I.P. Kohli, Advocate for respondent no. 3.

Mr. Piyush Garg, Advocate has put in appearance on behalf of the Caveator.

Heard learned counsel for the parties through video conferencing.

As prayed, one week's time is granted to learned counsel for the respondent(s) for filing counter affidavit(s).

List this matter on 17.09.2020.

Considering the submission advanced by learned counsel for the parties, it is directed that till the next date of listing, effect & operation of the impugned order dated 31.08.2020 shall remain stayed. However, no further construction shall be raised by the petitioner.

Stay application (CLMA No. 7010 of 2020) stands disposed of.

— Sd —

(Manoj K. Tiwari, J.)
09.09.2020

Arpan

compared by

PHOTOSTAT
TRUE COPY

14-9-2020

Assistant Registrar (Copying)
High Court Of Uttarakhand
Nainital

Advocate Name :- Vivek Pathak
Copying fee 36/-

Date on which application is made for copy accompanied by the requisite stamp	Date of the posting notice on notice board	Date of delivery of copy	Signature of Officer delivery copy
63 / 10.9.2020	14.9.2020	17/9/20	[signature] 17/9/20

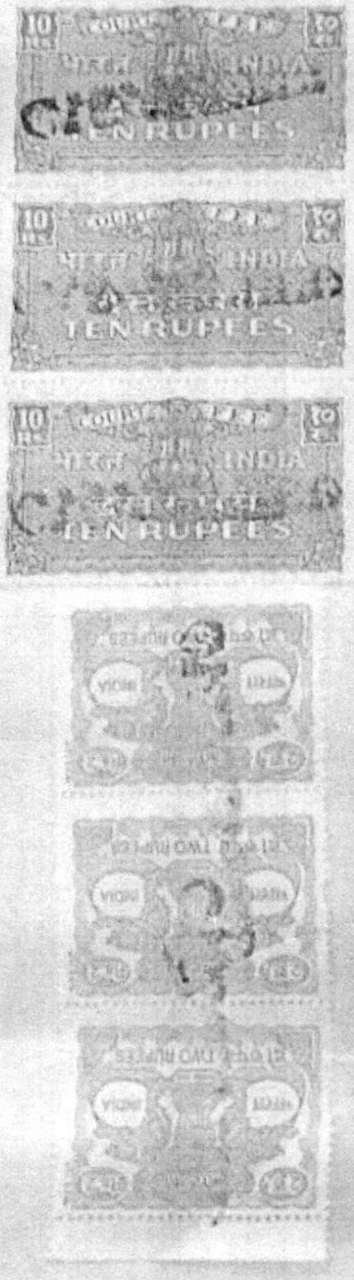

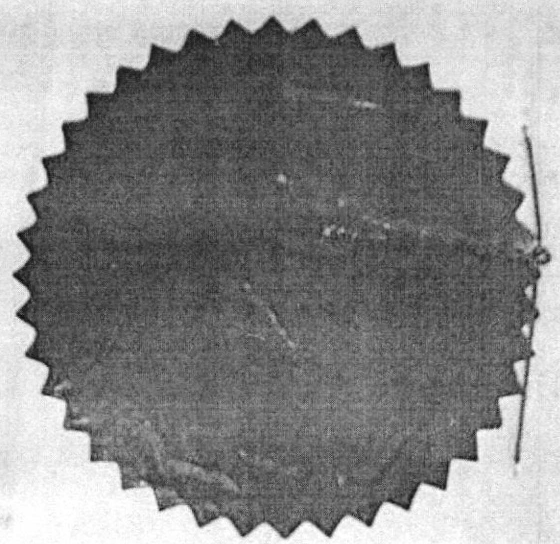

Sealed In My Presence
[signature] 14-9-2020